

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 153 / 2022-23

### -:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 654, दिनांक- 15.06.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक पुशुलाल रवानी, पिता- स्व० विश्वनाथ रवानी, साकिम- हरिणा बस्ती, पो०- नावागढ़, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- हरिणा, मौजा नं०- 101, गत् खाता सं०- 33, गत प्लॉट सं०- 116, हाल खाता सं०- 204, हाल प्लॉट सं०- 120, रकबा- 8.83 डिसमील भूमि क्रेता रवीन्द्र कुमार रवानी, पिता- रामु रवानी, साकिम- हरिणा बस्ती, पो०- नावागढ़, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के कहार हैं तथा दोनों एक ही थाना- बरोरा, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 64.67 डिसमील शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।